यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय औधौगिक प्रशिक्षण संस्थान (युवक), हल्द्वानी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय औधौगिक प्रशिक्षण संस्थान (युवक), हल्द्वानी के माह 05.2013 से 04.2018 तक के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री पवन कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी तथा श्री अनुज कुमार सिंघल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (त.) द्वारा दिनांक 23.05.2018 से 26.05.2018 तक श्री पुष्कर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

भाग-।

1). परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री पी. सी. श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री कुलदीप कौल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 17.05.13 से 27.05.13 तक श्री एस. के. त्यागी, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 07/2010 से 04/2013 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 05/2013 से 04/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2). (i). इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः इकाई के अधीन रोजगार परक व्यवसायो जैसे फिटर, कोपा आदि मे प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है तथा कौशल दक्षता हेतु निकटवर्ती स्थानो मे विभिन्न कम्पनियो/ प्रतिष्ठानो मे सम्पर्क कर प्रशिक्षुता हेतु भेजा जाता है। इकाई के भौगोलिक अधिकार क्षेत्र मे समस्त हल्द्वानी आता है।

ii). (अ). विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
		स्थापना	गैर-स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
1	2015-16	शून्य	शून्य	440.52	419.57	142.83	123.54	-	40.24
2	2016-17	शून्य	शून्य	636.30	552.21	198.94	191.85	-	91.18
3	2017-18	शून्य	शून्य	588.55	586.14	428.15	425.57	-	4.99

(ब). Autonomous Bodies की इकाइयों के विगत तीन वर्षो में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं:

लागू नही

(स). केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रारम्भिक अवशेष**	**आवंटित धनराशि**	**व्यय धनराशि**	**अधिक्य(+)/ बचत(-)**	**ब्याज**
2015-16	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2016-17	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2017-18	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

iii). इकाई को बजट आवंटन राज्य योजना अनुदान संख्या 16 के अंतर्गत, निदेशालय प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, हल्द्वानी द्वारा किया जाता है। गैर-स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'C' श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

a). प्रमुख सचिव, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन , उत्तराखंड, देहरादून

b). निदेशक, प्रशिक्षण, हल्द्वानी

c). अपर निदेशक, प्रशिक्षण, हल्द्वानी

d). उप निदेशक, प्रशिक्षण, हल्द्वानी

e). प्रधानाचार्य, औधौगिक प्रशिक्षण संस्थान (युवक), हल्द्वानी

iv). लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः वर्तमान लेखापरीक्षा 05.2013 से 04.2018 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए **कार्यालय औधौगिक प्रशिक्षण संस्थान (युवक), हल्द्वानी** के लेखा-अभिलेखों की नमूना जांच के आधार पर की गयी। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय औधौगिक प्रशिक्षण संस्थान (युवक), हल्द्वानी** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03.2015 एवं 05.2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

v). लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद- 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13; लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो (ब)

प्रस्तर 1:- धनराशि ₹ 10.88 लाख मूल्य के स्क्रेप/रॉ मैटेरियल की नीलामी नही किये जाने के कारण शासकीय हानि का प्रकरण।

उत्तराखण्ड वित्तीय अधिकारो का प्रतिनिधायन 2010, दिनांक 24, मई 2010 के अनुसार फालतू और निष्प्रयोज्य भण्डार का विक्रय 20% हास्य मूल्य पर किया जाएगा एवं कार्यालयाध्यक्ष धनराशि ₹ 25000/- से अनधिक मूल मूल्य (बेसिक प्राइज़) तक की नीलामी किए जाने हेतु प्रतिनिधनीय है।

कार्यालय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (युवक), हल्द्वानी के विभिन्न व्यवसायो मे मैटेरियल/रॉ मैटेरियल से उत्पन्न स्क्रेप संबन्धित पत्रावली की जांच मे पाया गया कि धनराशि ₹ 10.88 लाख की निष्प्रयोज्य सामाग्री एवं स्क्रेप विगत कई वर्षो से संस्थान द्वारा नीलाम नही किया गया। उक्त समग्रियों को वर्ष 2014 से वर्ष 2017 में निष्प्रयोज्य घोषित किया गया था। समय समय पर संस्थान मे इकट्ठा हुये स्क्रेप/रॉ मैटेरियल को नीलाम किए जाने हेतु कोई भी कार्यवाही नही की गयी। संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष भौतिक सत्यापन नही किए जाने के कारण वर्तमान मे धनराशि ₹ 10.88 लाख का स्क्रेप, जिसका आरक्षित मूल्य ₹ 2.04 लाख जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा दिनांक 18.07.17 निर्धारित किया गया, 10 माह के बीत जाने के बावजूद स्क्रेप/निष्प्रयोज्य सामाग्री नीलाम नही की जा सकी और न ही उक्त के नीलामी किए जाने हेतु कोई विज्ञप्ति संबन्धित साक्ष्य लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गए। अतः विभाग द्वारा नीलामी न किये जाने के कारण उक्त समग्रियों का निरन्तर मूल्य ह्रास हो रहा था, जिसके कारण उक्त समग्रियों के नीलामी से प्राप्त होने वाली विभागीय प्राप्तियों की हानि हो रही थी।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर दिया कि “अत्यधिक मूल्य के कारण नीलामी कार्यालय स्तर से नही की जा सकी”।

उत्तर मान्य नही क्योकि विभागीय उदासिनता के कारण स्क्रेप/रॉ मैटेरियल कार्यालय स्तर से समय समय पर नीलाम नही किया जा सका परिणामस्वरूप उक्त स्क्रेप/रॉ मैटेरियल नीलामी नही किए जाने के कारण विभागीय प्राप्तियों की हानि दिन प्रतिदिन हो रही है अर्थात शासकीय हानि हो रही है।

अतः प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

प्रस्तर 2:- धनराशि ₹ 19.19 लाख का अनियमित व्यय।

कार्यालय औधौगिक प्रशिक्षण संस्थान(युवक), हल्द्वानी के मशीनों एवं उपकरणो की जांच के दौरान यह पाया गया कि उत्तराखण्ड के विभिन्न औधौगिक प्रशिक्षण संस्थानो के लिए निदेशालय स्तर से वर्ष 2015-16 से विभिन्न चरणों मे केन्द्रीय क्रय (Central Purchase) के माध्यम से मशीनों एवं उपकरणो का क्रय किया गया जिस हेतु विभिन्न औधौगिक प्रशिक्षण संस्थानो से मांग पत्र (demand letter/ shortage of tools & machine) मँगवाए गए जिसके आधार पर मशीनों एवं उपकरणो का क्रय डीजीएसएनडी दरो पर विभिन्न मैसेर्स/supplier/फ़र्मों से केन्द्रीय क्रय कर संस्थायो को आबंटित किया गया तथा धनराशि ₹ 20.63 लाख की मशीनों एवं उपकरणो का क्रय निदेशालय स्तर से कर संस्थान को वितरित किए गए थे। उक्त धनराशि की मशीनों एवं उपकरणो की स्टॉक पंजिका एवं इंडेंट (Indent) पंजिका की जांच मे पाया गया कि धनराशि ₹ 13.27 लाख की मशीनों एवं उपकरण पाठ्यक्रम के अनुरूप नही होने के कारण अनुदेशकों द्वारा प्राप्त नही किए गए है जिस कारण धनराशि ₹ 13.27 लाख के उपकरण संस्थान मे उसकी प्राप्ति तिथि मार्च 2017 से निष्क्रिय पड़े हुये है। इस संबंध मे क्रय किए गए उपकरणो एवं मशीनों को भंडार मे तत्काल लेने एवं उपकरणो को सत्यापित करने संबन्धित कार्यालय आदेश अनुदेशकवार भी संस्थान द्वारा जारी किया गया। आगे जांच मे यह पाया गया कि अनुदेशकों द्वारा विभिन्न व्यवसाय हेतु प्रेषित माँग पत्र/ requisition/shortage letter के अनुसार ही उक्त मशीनों एवं उपकरणो का क्रय किया गया था। आगे निदेशालय के पत्रांक संख्या 15028-32/Dteu/tender/pur order/2016, दिनांक 02/11/2016 के अनुरूप स्पष्ट वर्णित है कि "If there is any change in the requirement of concerning ITI and need of the ITI as per the revised syllabus by DGENT, the same will be communicated to you (messers) for immediate implementation in the delivery of items." इस संबंध मे मशीनों एवं उपकरणो को हस्तगत करने एवं संबन्धित कार्यवाही के समर्थन मे कोई साक्ष्य लेखापरीक्षा को उपलब्ध नही कराये गए।

इसी प्रकार उक्त संस्थान के तहत संचालित औधौगिक प्रशिक्षण संस्थान, बिंदुखख्ता के मशीनों एवं उपकरणो की पत्रावली जांच मे यह पाया गया कि ₹ 5.92 लाख की मशीन एवं उपकरण संस्थान मे बिजली की आपूर्ति एवं सहायक सामान, मशीनों के साथ उपलब्ध नही होने के कारण विगत 2 वर्षो (04/2015 से) से अधिक समय से अक्रियशील पड़ी हुयी है। इस संबंध मे आगे जांच मे पाया कि संस्थान मे लेथ मशीन, टिग वैल्डिंग मशिन, co_2 वैल्डिंग मशिन हेतु 3 फेज कि आपूर्ति न होने के कारण स्टोर मे पड़ी हुयी थी तथा संस्थान द्वारा विगत वर्षो मे बिजली आपूर्ति एवं सहायक सामाग्री क्रय करने हेतु कोई प्रयास नही किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा उक्त प्रकरणो पर इंगित किए जाने पर उत्तर मे बताया गया कि टूल्स एवं मशीन अनुदेशकों कि मांग अनुसार क्रय किए गए थे, परंतु वर्तमान मे उनके द्वारा यह कहकर इंकार किया गया कि पाठ्यक्रम के अनुरूप नही है और इस संबंध मे निर्णय लेना विचारधीन है। साथ ही दूसरे प्रकरण के संदर्भ मे इकाई द्वारा बताया गया कि 3 फेस सप्लाई न होने के कारण

बन्द पड़ी है। भविष्य मे बिजली आपूर्ति कर अग्रिम कार्यवाही कर लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाएगा।

इकाई का उत्तर संतोषजनक नही पाया गया क्योकि इकाई की उदासीनता के कारण न केवल धनराशि ₹ 19.19 लाख की मशीने एवं उपकरण विगत 2 वर्षो से अक्रियाशील पड़ी हुई है बल्कि ऐसी मशीनों एवं उपकरणो का क्रय किया गया जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम हेतु उपयोगी नही थी।

अतः प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

<u>भाग - दो (ब)</u>

प्रस्तर 3:- विभागीय उदासीनता के कारण स्वीकृत ऋण से धनराशि समय से जारी नही होने के कारण लागत वृद्धि पाया जाना।

कार्यालय प्रधानाचार्य आईटीआई (युवक) हल्द्वानी की लेखापरीक्षा मे इकाई के नियंत्रणाधीन राजकीय औध्योधिक प्रशिक्षण संस्थान कालाढूंगी नैनीताल के भवन निर्माण के लिए शासनादेश स. 223/XLI-1/2015-51(प्रशि.)/2015, दिनांक 26.03.15 के अनुक्रम मे स्वीकृत लागत ₹ 801.50 लाख जिसका एमओयू निर्माण एजेंसी तथा आईटीआई हल्द्वानी के मध्य जून 2017 तक पूर्ण कर हस्तगत करने का उल्लेख पाया गया, परंतु लेखापरीक्षा तिथि तक अवमुक्त धनराशि ₹ 565.43 लाख स्वीकृत लागत ₹ 801.50 लाख के सापेक्ष पाया गया जिसकी मार्च, 2018 तक वित्तीय -भौतिक प्रगति रिपोर्ट 45% तथा 44% पायी गयी।

अभिलेखो की जांच मे आगे पाया गया कि एमओयू के अनुसार भवन निर्माण कार्य जून 2017 तक पूर्ण होना था तथा निर्माण एजेंसी शेष धन की मांग फरबरी 2017 मे की थी, परंतु धनराशि समय से जारी नही होने के कारण अनुबंध अप्रभावी रहा तथा अवशेष समस्त कार्यो को स्वीकृत धनराशि से पूर्ण करने से निर्माण एजेंसी द्वारा इंकार करना पाया गया।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया कि फ़ंड समय से जारी करने के संबंध मे कार्यालय द्वारा पत्राचार किया गया तथा समय से धनराशि जारी नही होना शासकीय नीति (पॉलिसी) के तहत है।

उत्तर संतोषजनक नही पाया गया क्योकि ऋण स्वीकृति के बावजूद विभागीय प्रयास समय से न होने के कारण निर्माण एजेंसी को समय वृद्धि लागत का अवसर प्रदान किया गया।

अत: प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग - दो (ब)</u>

प्रस्तर 4:- चयनित आईटीआई को केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त ब्याज रहित ऋण ₹ 2.50 करोड़ से संचालित योजना मे उदासीनता का प्रकरण पाया जाना।

कार्यालय प्रधानाचार्य आईटीआई (युवक) हल्द्वानी के अभिलेखो की जांच मे शासनादेश स. 1715/1111/75-प्रशि./2008, दिनांक 29.02.2008 का प्रकरण प्रकाश मे आया जिसमे केन्द्र सरकार की योजना " 1396 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानो का सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से उच्चीकरण के अंतर्गत इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कमेटी (आईएमसी) को वित्तीय अधिकार प्रदत्त किए जाने की चर्चा थी तथा वर्णित बिन्दुयों जिसे आईएमसी द्वारा अनुपालन किया जाना था, मे से कुछ प्रमुख बिन्दु निम्नवत पाये गए:-

1. क्षेत्र मे तकनीकी शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण को सुदृढ़ बनाए जाने के दृष्टिकोण से आवश्यकता अनुसार राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मे संचालित होने वाले विषयो मे परिवर्तन किए जाने हेतु सुझाव दिया जाना।
2. लघु/ मध्य/ दीर्घ अवधि के लिए कुशल श्रमिकों का आवश्यक अनुरूप प्रशिक्षण विषय प्रारम्भ करना।
3. प्रशिक्षण आवश्यकताओ की समीक्षा करना।
4. भारत सरकार से प्राप्त ब्याज रहित ऋण मे से इस योजना मे निर्धारित मापदंडो एवं शर्तो के अनुसार व्यय करना तथा वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की आख्या राज्य स्तरीय स्टियरिंग कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करना।
5. समझोते के सभी बिन्दुयों का जिनको संस्थान प्रबन्धक कमेटी अपने दायित्वों का निर्वहन करना है, उनको पूर्ण निष्ठा कुशलता एवं उत्तरदायित्व के साथ निर्वहन करना सुनिश्चित करेगी।

लेखापरीक्षा मे उक्त प्रकरण की जांच मे पाया गया कि आईटीआई हल्द्वानी के नियंत्रणाधीन संचालित आईटीआई, ढोकाने तथा आईटीआई, रामनगर को क्रमश वर्ष 2011-12 तथा वर्ष 2008-09 मे उक्त पीपीपी मोड योजना के तहत चयनित किया गया। गाइडलाइंस के अनुसार गठित कमेटी आईएमसी मे ढोकाने के मामले मे टाटा मोटर्स के पदाधिकारी तथा रामनगर के प्रकरण मे बजाज ऑटो के पदाधिकारी अध्यक्ष के रूप मे नामित तथा सदस्य सचिव श्री जे॰ एम॰ नेगी, प्रधानाचार्य आईटीआई ढोकाने को नामित किया जाना पाया गया। योजना के तहत प्रत्येक आईटीआई को ₹ 2.5 करोड़ ब्याज रहित ऋण भारत सरकार द्वारा क्रमश वर्ष 2008-09 तथा 2011-12 मे चयनित होने के पश्चात प्रदान किया गया परंतु छः वर्ष बीत जाने के पश्चात योजना के तहत व्यावसायिक प्रशिक्षण को सुदृढ़ बनाए जाने के दृष्टि कोण से आवश्यकतानुसार राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मे वर्ष 2016 मे 2 कोर्स फिटर तथा इलेक्ट्रिशियन का प्रशिक्षण क्रमशः ढोकाने तथा रामनगर में वर्ष 2017 में एक कोर्स रामनगर में प्रारम्भ किया गया जिसमे ढोकाने के प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार ₹ 2.5 करोड़ मे से लेखापरीक्षा तिथि तक उद्देशय की पूर्ति के लिए मात्र ₹ 58.95 लाख ही व्यय किया जा सका। इस संबंध मे योजना का सही क्रियान्वयन के लिए समय समय पर

आईएमसी की बैठक आहूत की जानी थी परंतु साक्ष्य स्वरूप जुलाई 2017 के पश्चात की बैठक रिपोर्ट लेखापरीक्षा मे प्रस्तुत नही की जा सकी।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया कि आईएमसी सोसाइटी कार्य कर रही है, आईएमसी, ढोकाने द्वारा 2 व्यवसायो तथा आईएमसी, रामनगर द्वारा 3 व्यवसायो मे संबंधन प्राप्त कराया जा चुका है। आईएमसी स्तर पर न्यूनतम त्रेमासिक रूप से समीक्षा की जाती है तथा प्रेषित क्यूपीआर इसका साक्ष्य है।

उत्तर संतोषजनक नही पाया गया क्योकि त्रैमासिक समीक्षा के रूप मे प्रस्तुत क्यूपीआर मे अवधि इंगित नही पायी गयी। आईएमसी कमेटी गंभीर रहती तो धनराशि समय से उपलब्ध होने के बावजूद जॉब ऑरिऐनटिड कोर्स छः वर्ष पश्चात चलाने तथा कोर्स चलाने के लिए आवश्यक टूल्स पर आवंटन के सापेक्ष ₹ 58.95 लाख का न्यून व्यय स्वतः प्रमाणक था कि योजना के संचालन मे उदासीनता बरती गयी।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो (ब)

प्रस्तर 5: वेतन व भत्तो के रूप में ₹ 1,14,366 का अधिक भुगतान।

सातवें वेतन आयोग की सिफ़ारिशों के अनुसार यदि किसी कर्मचारी की वार्षिक वेतन वृद्धि 1 जनवरी 2016 को देय है तो 31 दिसम्बर 2015 के वेतन पर वेतन निर्धारण करके वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान की जानी चाहिए।

कार्यालय के कर्मचारियो/ अधिकारियों की सेवा पुस्तिका की संवीक्षा के दौरान पाया गया कि श्री हेम चन्द्र बड़ौला का वेतन 31 दिसम्बर 2015 को ₹ 7660/- था, परंतु उक्त कर्मचारी का वेतन निर्धारण ₹ 7860/- पर किया गया। साथ ही पाया गया कि श्री भगवान चन्द्र पंत एवं श्री प्रकाश चन्द्र जोशी के 31 दिसम्बर के वेतन पर वार्षिक वेतन वृद्धि देने के पश्चात वेतन निर्धारण किया गया एवं पुन: वेतन वृद्धि दी गयी इस प्रकार उक्त दोनों कर्मचारियों को 1 जनवरी को दो-दो वेतन वृद्धि प्रदान की गई। इस प्रकार उक्त सभी कर्मचारियों को निम्नानुसार अधिक वेतन प्रदान किया गया:

1. श्री हेमचन्द्र बड़ोला : ₹ 17334
2. श्री भगवान चन्द्र पंत : ₹ 48516
3. श्री प्रकाश चन्द्र जोशी : ₹ 48516

योग : ₹ 1,14,366

प्रकरण की ओर इंगित करने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि प्रकरण के परीक्षण के उपरांत उचित कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत कराया जाएगा।

अत: प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-III</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN	TAN
85/2013-14	--	1,2	--	--
28/2010-11	1,2,3, व 4	1,2	--	--
19/2005-06	--	1,2, व 3	--	--

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
85/2013-14	(ब) 1,2	--	--	इकाई द्वारा निर्धारित प्रारूप में अनुपालन आख्य अविलम्ब प्रस्तुत करने की बात कही गयी।
28/2010-11	(अ) 1,2,3, व 4 (ब) 1,2	--	--	
19/2005-06	(ब) 1,2,3	--	--	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

..... शून्य .....

भाग-V

आभार

1). कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय, औधौगिक प्रशिक्षण संस्थान (युवक) हल्द्वानी** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

अप्रस्तुत अभिलेख: शून्य

2). सतत् अनियमितताएः शून्य

3). लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया :

नाम	पदनाम	अवधि
श्री जे एम. नेगी	प्रधानाचार्य रा॰ औ॰ प्र॰ स॰ युवक, हल्द्वानी	विगत लेखापरीक्षा से 13.07.2017 तक
श्री जे. एस. जलाल	प्रधानाचार्य रा॰ औ॰ प्र॰ स॰ युवक, हल्द्वानी	14.07.17 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका, उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय, औधौगिक प्रशिक्षण संस्थान (युवक), हल्द्वानी** को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे "उप-महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून 248195 " को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.